भारत सरकार

जल शक्ति मंत्रालय

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1945

दिनांक 30 जुलाई, 2026 को उत्तरार्थ

.....

असम में नदी तट का कटाव

1945. मोहम्मद रकीबुल हुसैनः

क्या **जल शक्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने असम में नदी तट के कटाव और भूमि के नुकसान के संबंध में कोई अध्ययन किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और मुख्य निष्कर्ष क्या हैं;

(ख) क्या उक्त राज्य में नदी तट के कटाव की समस्या से निपटने के लिए कोई व्यापक प्रशमन रणनीति तैयार की गई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) विगत पांच वर्षों के दौरान असम में कटाव नियंत्रण परियोजनाओं के लिए आवंटित निधि का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

जल शक्ति राज्य मंत्री

(श्री राज भूषण चौधरी)

(क): भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी), गुवाहाटी के माध्यम से केन्द्रीय जल आयोग (सीडब्ल्यूसी) द्वारा किए गए ब्रह्मपुत्र नदी के मॉर्फोलॉजीकल अध्ययन के अनुसार, ऐसा अनुमान लगाया गया है कि वर्ष 2003-2005 और वर्ष 2008-2011 की अवधि के दौरान ब्रह्मपुत्र नदी में लगभग 252.6 वर्ग किमी का कटाव हुआ और लगभग 118.6 वर्ग किमी में जमाव हुआ।

इसके अतिरिक्त ब्रह्मपुत्र बोर्ड द्वारा केंद्रीय जल और विद्युत अनुसंधान शाला (सीडब्ल्यूपीआरएस), पुणे के माध्यम से ब्रह्मपुत्र बोर्ड द्वारा किए गए "ब्रह्मपुत्र, असम नदी के किनारे माजुली द्वीप के लिए उपग्रह चित्रों के आधार पर संभावित कटाव स्थलों की पहचान" शीर्षक वाले अध्ययन के अनुसार, अध्ययन अवधि (1986-2023) के दौरान सुबनसिरी और ब्रह्मपुत्र नदियों के संगम के पास निरंतर कटाव देखा गया था। कुल मिलाकर, माजुली द्वीप के विभिन्न हिस्सों से लगभग 75 वर्ग किमी भूमि का कटाव हुआ था, जबकि माजुली द्वीप के भीतर ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर लगभग 58 वर्ग किमी का तलछट जमाव देखा गया था।

(ख) और (ग): बाढ़ प्रबंधन और कटाव-रोधी योजनाएं संबंधित राज्य सरकारों द्वारा उनकी संबंधित प्राथमिकताओं के अनुसार तैयार और कार्यान्वित की जाती हैं। केन्द्र सरकार गंभीर क्षेत्रों में बाढ़ प्रबंधन के लिए तकनीकी मार्गदर्शन और प्रोत्साहनात्मक वित्तीय सहायता प्रदान करके राज्यों के प्रयासों में सहायता करती है। एक एकीकृत बाढ़ प्रबंधन दृष्टिकोण का उद्देश्य

किफायती लागत के साथ बाढ़ से होने वाली क्षति के लिए उचित स्तर की सुरक्षा प्रदान करने के लिए संरचनात्मक और गैर-संरचनात्मक उपायों को विवेकपूर्ण रूप से एक साथ अपनाना है।

केन्द्र सरकार बाढ़ नियंत्रण, कटाव-रोधी, जल निकासी का विकास, समुद्री कटाव-रोधी आदि से संबंधित कार्यों के लिए राज्य सरकारों को केन्द्रीय सहायता प्रदान करने के लिए बाढ़ प्रबंधन और सीमावर्ती क्षेत्र कार्यक्रम (एफएमबीएपी) नामक केन्द्रीय प्रायोजित योजना कार्यान्वित कर रही है। पिछले पांच वर्षों के दौरान, राज्य में बाढ़ प्रबंधन और कटाव-रोधी परियोजनाओं के लिए एफएमबीएपी के अंतर्गत असम सरकार को 342.63 करोड़ रुपये की केंद्रीय सहायता जारी की गई है। इसके अतिरिक्त, ब्रह्मपुत्र बोर्ड ने पिछले पांच वर्षों के दौरान असम में बाढ़ प्रबंधन और कटाव-रोधी कार्यों पर 109.10 करोड़ रुपए का व्यय किया है।
